डॉ0 भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा

(पूर्ववर्ती : आगरा विश्वविद्यालय, आगरा)

महत्वपूर्ण / आवश्यक

1. संजय गांधी कॉलेज ऑफ एजूकेशन, आगरा।
2. श्री जे0पी0 शर्मा शिक्षण संस्थान, आगरा।

विषयः डिजीशक्ति पोर्टल पर आवंटित स्मार्टफोन के वितरण में अत्यधिक समय से पेंडेंसी एवं लापरवाही बरतने के संबंध में प्राथमिकी दर्ज कराने हेतु संस्तुति।

महोदय / महोदया,

आपको अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना 'स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना' के अंतर्गत आपके संस्थान को छात्रों के वितरण हेतु डिजीशक्ति पोर्टल के माध्यम से स्मार्टफोन प्रशासनिक स्तर से आवंटित एवं उपलब्ध कराए जा चुके हैं।

शासन एवं जिला अधिकारी, आगरा से स्पष्ट निर्देश हैं कि प्राप्त डिवाइसों का वितरण पात्र छात्र–छात्राओं को तत्काल सुनिश्चित किया जाए ताकि उनकी डिजिटल शिक्षा सुचारू रूप से चल सके।

परंतु, इस कार्यालय की समीक्षा और डिजीशक्ति पोर्टल के डैशबोर्ड से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार, आपके कॉलेज में स्मार्टफोन की भारी संख्या में पेंडेंसी प्रदर्शित हो रही है। आपके संस्थान का यह कृत्य शासन की प्राथमिकताओं और जनहितकारी नीतियों के सीधे उल्लंघन की श्रेणी में आता है। कॉलेज प्रशासन की इस घोर लापरवाही के कारण जनपद की रैंकिंग और योजना की प्रगति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।

विश्वविद्यालय द्वारा दिनांक 22 / 09 / 2026 को पत्र के माध्यम से आपको सूचित किया गया था आपके महाविद्यालय द्वारा दी गई समयावधि तददिनांक 29 / 09 / 2026 तक आपके द्वारा ना तो पेंडेसी समाप्त की गई न ही कोई लिखित स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया गया अतः आपको अन्तिम अवगसर दिनांक 01.10.2026 तक दिया जाता है। यदि आपके द्वारा फिर भी उक्त प्रकरण स्पष्ट नही किया गया तब प्रशासन को प्राथमिकी दर्ज की संस्तुति कर दी जायेगी। जिसके लिये आप स्वयं जिम्मेदार होगें।

संलग्नक : यथोक्त

नोडल अधिकारी 29/9/26 — कुलसचिव

प्रतिलिपिः–

1. जिला अधिकारी, कार्यालय आगरा।
2. कार्यालय अधीक्षक, माननीय कुलपति जी के अवलोकनार्थ।
3. एजेन्सी–2023 को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त सूचना को समस्त सम्बन्धित महाविद्यालय के लॉगिन आई0डी0 पर आज ही अपलोड करना सुनिश्चित करें।
4. गार्ड फाइल।